नौकरशाही का भ्रष्टाचार चरम पर

डाकाशाही

मुझे सज़ा देने का अधिकार उसे है जिसने कभी अपराध नहीं किया

इन्दौर: बीमा कंपनीयों में भ्रष्टाचार होना एक आम बात है। जनता बीमा कंपनी में प्रिमियम जमा करती है इस लोकधन को कंपनी के लोकसेवक कैसे हडपते है उसके लिये तरह तरह की अनेक योजनाओं तैयार कर आर्थिक घोटालों प्रायोजित किये जाते है। यदि मामले में पकडे जाते है व उसकी शिकायत होती है तो उच्च भ्रष्ट अधिकारी अपने अधिनस्थ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों को बचाने के लिये की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कर उनका बचाव करते है।

कंपनी उन एजेन्टों को को प्रोत्साहन देने के लिये तरह तरह की स्कीम बनाती है इसमें से एक स्कीम है कि यदि कोई एजेन्ट अच्छा व्यवसाय कर कंपनी में प्रिमियम लाता है तो उसे प्रोत्साहन के रूप में गिफ्ट कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड से वह एजेन्ट अपने पसंद के आईटम की खरीदी कर सकता है। यह कार्ड शाखा प्रबन्धक व मण्डल प्रबन्धक की अनुशंसा व बिजनेस के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय का मार्केटीग विभाग जारी करता है जिसे शाखा प्रबन्धक के माध्यम से एजेन्ट को दिया जाता है।

हाल ही में ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के शाखा कार्यालय देवास के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक जी एल गवलाना व एजेन्सी मेनेजर नवीन दुबे ने कंपनी के एजेन्ट मनोज पुरी गोस्वामी को क्षेत्रीय कार्यालय से जारी गिफ्ट कार्ड को उसे प्रदान नहीं किया और इस गिफ्ट कार्ड का उपयोग स्वयं कर लिया जब एजेन्ट मनोज ने गिफ्ट कार्ड की मांग की तो उसे नगद राशि दिये जाने का प्रलोभन दिया।

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में देवास शाखा कार्यालय में कार्यरत एक एजेन्ट मनोज पुरी गोस्वामी को कंपनी में व्यवसाय करने पर आईसीआईसीआई बैंक का गिफ्ट कार्ड दिया था।सभी एजेन्ट को कार्ड का वितरण किये जाने के बाद एजेन्ट मनोज ने वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक गवलाना से अपने गिफ्ट कार्ड की मांग की तो शाखा प्रबन्धक मामले को टालते रहे।

इसके बाद एजेन्ट मनोज के विकास अधिकारी रामचन्द्र केथवास को इसकी जानकारी दी जिस पर विकास अधिकारी रामचन्द्र केथवास ने वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक को इस संबंध में लिखित आवेदन दिया जिसकी प्राप्ति रसीद न देने पर एक ईमेल किया जिसकी प्रतिलिपि इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महा प्रबन्धक एम पी वर्मा को दी। इस ई-मेल पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर एजेन्ट मनोज पुरी गोस्वामी ने 11 जनवरी 2018 को एक ई-मेल कर गिफ्ट कार्ड की मांग की जिसकी एक प्रति कंपनी

शेष पृष्ठ ...5 पर...

यह मामला आपराधिक दुर्विनियोग/गबन का बनता है ज्योंकि वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक गवलाना व एजेन्सी मेनेजर नवीन दुबे को कंपनी ने एजेन्ट मनोज को गिफ्ट कार्ड देने के लिये अधिकृत किया था उन्होंने गिफ्ट कार्ड एजेन्ट मनोज को न देकर उसका उपयोग निजि हित में कर कंपनी के लोकधन को हडपा है। उक्त कार्ड का उपयोग गवलाना ने इन्दौर में भी किया। भारतीय दण्ड विधान में गबन के आरोपी को संरक्षण देने वाले को भी सजा का प्रावधान है।

ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी के सहायक महाप्रबन्धक एम पी वर्मा

कंपनी के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी कब निभाओगे?

ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महा प्रबन्धक एम पी वर्मा जिन्हें कंपनी ने जनरल पावर ऑफ अटार्नी देकर उन्हें इस बात के लिये अधिकृत किया कि वे कंपनी कंपनी की और से कंपनी के हित में कार्य करे ।

कंपनी के दैनिक कार्यकलापों के अतिरिक्त उन्हें यह भी दायित्व दिया है कि यदि कंपनी में कोई लोकसेवक अपराध करता तो उस अपराधी लोकसेवक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर उसके खिलाफ विभागीय जाँच संस्थित कर दोषी लोकसेवक को दंडित करे। इसी प्रकार यदि कोई बीमाधारक या सर्वेयर या अन्य कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ धोखाधडी कोई आपराधिक कृत्य करता है तो भी इसी प्रकार की प्रकिया का इस्तेमामल किया जाए। इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग-नई दिल्ली और कंपनी के स्पष्ट निर्देश है कि उसके कंपनी के विरूद्व अपराध करने वालों के विरूद्व पुलिस में एफ आई आर दर्ज करे और यदि मामला 25 लाख से उपर की धनराशी का है तो इसकी सूचना सीबीआई को देकर अपने नैतिक व संवैधानिक दायित्व का पालन करे।

एम पी वर्मा को एजेन्ट मनोज पुरी गोस्वामी ने उसके साथ की गई धोखाधडी की सूचना ई-मेल के माध्यम से अनेकों बार दिये जाने पर उन्होंने शाखा कार्यालय देवास में पदस्थ वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक जी एल गवलाना और एजेन्सी मेनेजर नवीन दुब के विरूद्व कोई कार्यवाही नही की। इन दोनों लोकसेवकों ने कंपनी के साथ बेईमानीपूर्वक धोखाधडी की और किये गये अपराध को छिपाने की नियत से फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर कंपनी व एजेन्ट मनोज के साथ बेईमानीपूर्वक छल किया व कंपनी की धनराशी जिसके वे कस्टोडियन थे उन्होंने उसी धनराशी का गबन किया उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की। एम पी वर्मा इन अधिकारीयों को संरक्षण देकर इन अधिकारों की नजर में अच्छे बन जाएगे लेकिन की कंपनी के प्रति जिम्मेदारी व वफादारी नहीं निभा रहे है किसी भी अपराधी को संरक्षण देना भी अपराध है।

सेन्सर टाइम्स ने भी इस संबंध में कंपनी के मुख्य सर्तकता अधिकारी एम पी नागपाल, सहायक महा प्रबन्धक एम पी वर्मा, विजिलेंस अधिकारी प्रदीप शर्मा, मण्डल प्रबन्धक प्रवीण कुटुम्बले, एस एन सिंग को इस संबंध में गवलाना व नवीन दुबे के विरूद्व कार्यवाही नहीं करने पर सूचना पत्र दिया लेकिन इन्होंने भी वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक जी एल गवलाना व प्रशासनिक अधिकारी नवीन दुबे के विरूद्व एफआईआर ना ही विभागीय जाँच की।

कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी एम पी नागपाल जिन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली ने कंपनी में अपराध की रोकथाम के लिये नियुक्त किया है उन्होंने भी अपने दायित्व का पालन नहीं कर कंपनी व समाज में अपराध को बढावा दे रहे है जिससे देश में भ्रष्टाचार बढ रहा है इसका परिणाम यह हो रहा है कि भ्रष्टाचारयो को करने वाले तथा इन्हें देखने वालों का हौसला बढ रहा है।